

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अप्रैल 2010—चैत्र 30, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2010

क्र. एफ-ए 3-9-2010-1-पांच (54).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए पिसान, आटा, मैदा, सूजी, रवा और दलिया की विनिर्माण प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करती है.

2. यह अधिसूचना 26 नवम्बर 2009 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2010

क्र. एफ-ए 3-9-2010-1-पांच (54).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-9-2010-1-पांच (54), दिनांक 20 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th April 2010

F- No. A 3-9-2010-1-V(54).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby specifies the process of manufacture of flour, atta, maida, suji, rawa and daliya for the purpose of the said proviso.

2. This notification shall come into force with effect from 26th November 2009.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.